भारत सरकार
इस्पात मंत्रालय

लोक सभा
अतारांकित प्रश्न संख्या 3495

17 दिसम्बर, 2024 को उत्तर के लिए

इस्पात का आयात

3495. श्री सुरेश कुमार शेटकर:
श्रीमती डी.के. अरुणा:
श्री इटेला राजेंदर:

क्या इस्पात मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या यह सच है कि मुक्त व्यापार समझौते (एफटीए) वाले देशों से लगभग 62 प्रतिशत इस्पात आयात शून्य शुल्क पर हो रहा है और शुल्क में किसी भी वृद्धि का इन खेपों पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा और सरकार यह भी स्वीकार कर रही है कि बढ़ते आयात के कारण आपूर्ति की अधिकता की समस्या वास्तव में है और यदि हां, तो आज की स्थिति के अनुसार व्यापारवार तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ख) क्या घरेलू इस्पात कंपनियां चुनिंदा देशों से सस्ते इस्पात के बढ़ते आयात पर चिंता व्यक्त कर रही हैं जिससे उनकी प्रतिस्पर्धात्मकता प्रभावित हो रही है और एफटीए राष्ट्रों से अधिकांश इस्पात आयात के मामलों में शुल्क वृद्धि अप्रभावी हो रही है; और

(ग) यदि हां, तो आज की स्थिति के अनुसार अन्य देशों की तुलना में तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इस संबंध में क्या सुधारात्मक कदम उठाए जा रहे हैं/परिणाम प्राप्त हुए हैं और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

उत्तर

इस्पात राज्य मंत्री **(श्री भूपतिराजू श्रीनिवास वर्मा)**

(क) से (ग): पिछले तीन वर्षों तथा चालू वर्ष यानी अप्रैल-नवंबर 2024 (अनंतिम) के दौरान मुक्त व्यापार समझौता (एफटीए) देशों, गैर-एफटीए देशों से तैयार इस्पात के आयात और समग्र आयात के आंकड़े नीचे दिए गए हैं और यह दर्शाता है कि वित्त वर्ष 2023-24 में समग्र आयात में एफटीए देशों की हिस्सेदारी 60% तथा चालू वर्ष यानी अप्रैल-नवंबर 2024-25 (अनंतिम) के दौरान 63% थी:-

तैयार इस्पात का आयात **मात्रा (मिलियन टन में)**				
देश समूह	**2021-22**	**2022-23**	**2023-24**	**अप्रैल- नवंबर 2024-25***
क. एफटीए	3.07	3.69	5.02	4.08
ख. गैर-एफटीए	1.60	2.33	3.30	2.43
कुल (क+ख)	4.67	6.02	8.32	6.51
एफटीए देशों का हिस्सा	66%	61%	60%	63%
स्रोत: संयुक्त संयंत्र समिति (जेपीसी); *अनंतिम;				

जारी....2

पिछले तीन वर्षों के दौरान देश में तैयार इस्पात के उत्पादन और खपत का विवरण नीचे दर्शाया गया है:-

वर्ष	**तैयार इस्पात (मिलियन टन में)**	
	उत्पादन	**खपत**
2021-22	113.60	105.75
2022-23	123.20	119.89
2023-24	139.15	136.29
स्रोत: जेपीसी		

सरकार ने घरेलू इस्पात उद्योग को सहायता देने के लिए निम्नलिखित कदम उठाए हैं:-

i. सरकारी अधिप्राप्ति के लिए 'मेड इन इंडिया' इस्पात को बढ़ावा देने हेतु घरेलू रूप से विनिर्मित लौह एवं इस्पात उत्पाद (डीएमआई एंड एसपी) नीति का कार्यान्वयन।

ii. देश के भीतर 'विशेष इस्पात' के विनिर्माण को बढ़ावा देने और पूंजीगत निवेश को आकर्षित करके आयात को कम करने के लिए विशेष इस्पात के लिए उत्पादन से जुड़ी प्रोत्साहन (पीएलआई) योजना का कार्यान्वयन। विशेष इस्पात के लिए पीएलआई योजना के तहत अनुमानित अतिरिक्त निवेश 27,106 करोड़ रुपये है, जिसमें विशेष इस्पात के लिए लगभग 24 मिलियन टन (एमटी) की डाउनस्ट्रीम क्षमता का सृजन शामिल है।

iii. केंद्रीय बजट 2024-25 में, फेरो-निकेल और मोलिब्डेनम अयस्कों और सांद्रणों जो इस्पात उद्योग के लिए कच्चा माल है पर आधारभूत सीमा शुल्क (बीसीडी) को 2.5% से घटाकर शून्य कर दिया गया है और सीआरजीओ इस्पात के विनिर्माण के लिए फेरस स्क्रैप और विशिष्ट कच्चे माल पर बीसीडी छूट दिनांक 31.03.2026 तक जारी रखी गई है।

iv. घरेलू इस्पात उद्योग की चिंताओं को दूर करने के लिए आयात की अधिक प्रभावी निगरानी हेतु इस्पात आयात निगरानी प्रणाली (एसआईएमएस) 2.0 का पुनरुद्धार।

v. इस्पात गुणवत्ता नियंत्रण आदेश की शुरूआत, जिससे उद्योग, उपयोगकर्ताओं और आम जनता को गुणवत्तापूर्ण इस्पात की उपलब्धता सुनिश्चित करने के लिए घटिया/दोषपूर्ण इस्पात उत्पादों के आयात पर प्रतिबंध लगाया जा सके। आदेश के अनुसार, यह सुनिश्चित किया गया कि अंतिम उपयोगकर्ताओं को प्रासंगिक बीआईएस मानकों के अनुरूप केवल गुणवत्तापूर्ण इस्पात ही उपलब्ध कराए जाएं। आज की तारीख तक, कार्बन स्टील, एलॉय स्टील और स्टेनलेस स्टील को शामिल करते हुए गुणवत्ता नियंत्रण आदेश के तहत 151 भारतीय मानक अधिसूचित हैं।

*****